कार्यालय कलेक्टर, जिला मुंगेली (छ.ग.)

//संशोधित आदेश//

क्र./क/2323/वित्त–3/दै.वे.भो./निर्धा./2020–21 मुंगेली, दिनांक 25/03/2021

छत्तीसगढ़ वित्त संहिता भाग – 02 के परिशिष्ट 6 के नियम 43 में निहित प्रावधानों तथा कार्यालय श्रमायुक्त, छत्तीसगढ़, रायपुर का पत्र कमांक/आठ/न्यू0वे0/श्र.आ./2021/2125 नवा रायपुर दिनांक 18.03.2021 के अनुसार पुनरीक्षित न्यूनतम वेतन एवं परिवर्तनशील मंहगाई भत्ते के परिप्रेक्ष्य में अधिसूचित सामान्य नियोजन भाग "एक" में नियोजित श्रमिकों के लिये परिवर्तनशील मंहगाई भत्ते की गणना कर दिनांक **01/04/2021 से 30/09/2021** तक प्रभावशील न्यूनतम मूल वेतन एवं परिवर्तनशील मंहगाई भत्ते की नवीन दरे निर्धारित की जाती है, जो निम्नानुसार है :–

दिनांक 01/04/2021 से 30/09/2021 तक					
क्र.	श्रेणी पदनाम	न्यूनतम मूल वेतन	परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता	कुल मासिक वेतन (रूपये में)	
				प्रतिमाह	प्रतिदिन
1	अकुशल	7800.00	1400.00	9200.00	306.67 (307)
2	अर्धकुशल	8450.00	1400.00	9850.00	328.33 (328)
3	कुशल	9230.00	1400.00	10630.00	354.33 (354)
4	उच्चकुशल	10010.00	1400.00	11410.00	380.33 (380)

कम्प्यूटर ऑपरेटर, स्टेनोग्राफर, सहस्टेनोटार्यपिस्ट, इंजीनियरिंग, डिप्लोमाधारी, टेक्नीकल डिप्लोमाधारी एवं इसके समकक्ष पद, पंप हाउस ऑपरेटर, सुपरवाईजर, निरीक्षक, क्वालिटी निरीक्षक, प्रोडक्शन मैनेजर, अन्य आदि **उच्च कुशल श्रेणी** के कर्मचारी ।

गोताखोर,ग्रेनालाईन, मोबाइल केन आपरेटर, केमिस्ट खानसामा, कुक, रेसिडेंसी कोठी, डिंलिग मशीन आपरेटर, वायरमेन, इलेक्ट्रिशियन (आई.टी.आई.) केबिनेट मेकर, चार्जमेन राजस्व निरीक्षक एकाउण्टेंट, कैशियर, गोडाउन कीपर, शिक्षक, फीटर, फील्ड सुपरवाईजर, मलेरिया वायरल अटेंण्डट टर्नर, मोल्डर, वाहन चालक, वैध लायसेंसी वाहन चालक भारी वाहन, ग्राइन्डर मेकेनिक वेल्डर, टाईम कीपर,प्रेसरमेन, राईस मिस्त्री आर्डर मास्टर सेजेज, वर्कर, मिठाई बनाने वाला, फोटोग्राफर,केमरा आपरेटर,कम्पोजिस्टर टाईम कास्टर, हेड क्लर्क, सचिव जनपद, ग्राम पंचायत पर्यवेक्षक,ग्रंथपाल वाचनालय आपरेटर, वाटर फायर मेन,फिल्टर इंचार्ज,आपरेटर टीम स्मिथ, स्टोर कीपर, ब्लेक स्मिथ,वल्कनाईजर, टेलीफोन आपरेटर,कार पेंटर,वायरलेस आपरेटर, ट्रेसरमेन,ग्रीसर प्रयोग शाला, तकनीशीयन प्रयोगशाला, सहायक प्लाट अटेण्डेंट, भट्ठी वाला, टाईपिस्ट टाइपिंग मशीन सहित, आईस प्लांट आपरेटर, स्टेनो ग्राफर, ड्रिंलिंग हेल्फर जमीन (पटवारी), प्रशिक्षक, अधीक्षक, व्यवस्थापक, विकास अधिकारी वाल्डन एवं अन्य **कुशल श्रेणी** के कर्मचारी।

कारपेड, सफेदावाल, आईस टर्नर,मोहर्रिर, सहायक मिस्त्री लाईनमेन,बिजली मिस्त्री सिनियर फील्ड वर्कर,सुपीरियर फील्ड वर्कर मलेरिया, कुकिंग क्लर्क, सहायक आपरेटर पोल बनाने वाला, इंजन ड्राइवर,मशीन मेन हेड मजदूर, वायर मेन, सेल्स मेन,फोरमेन, सहायक मुंशी, केवल अटेण्डेंट, उन कटाई कार्य करने वाले, कोशाफल से धागा निकालने वाले , बुक लिफ्टर लायब्रेरी , सांड एवं पशु परिचारक, अटेण्डेंट, लाईनमेन जांच करने वाला निरीक्षक एवं अन्य **अर्द्ध कुशल श्रेणी** के कर्मचारी।

मजदूर (पुरूष एवं महिला) स्वीपर,क्लीनर, हेल्फर, माली, चपरासी, भृत्य,खलासी, फर्राश, चौकीदार, आईल डालने वाला वाटरमेन, वेल्टर, वेंडर, कुली, डाक रनर, वेयर गेट कीपर, चरवाहा कांजी हाउस मेन, सेलर कास्टर, वार्ड ब्वाय, ड्रेसर अस्पाताल सरवेंट, (महाविद्यालय छात्रावास) आया, जमादार, सफाई कर्मचारी, हवलदार, गेंगमेन, धोबी, नाई, टांगा चालक , आटो चालक, पंप परिचालक, मोटर तथा इंजन क्लीनर, कर्मशाला मजदूर, वर्कशाप तथा फार्मेसीमेंट, चमड़ा उतारने वाला हमाल, व अन्य **अकुशल श्रेणी** के कर्मचारी।

Scanned with CamScanner

क्र.	श्रेणी पदनाम	मासिक दर	दैनिक दर
5.	अकुशल श्रमिक वर्ग (पार्ट टाइम चार घंटे काम करने पर)	4600.00	153.33 (153)

1. जिन कर्मचारियों को निर्धारित वेतन से अधिक प्राप्त हो रहा है, उनके वेतन में कोई कटौती नहीं की जावेगी, किंतु भविष्य में मंहगाई भत्ते मे होने वाले वृद्धि का लाभ समय अनुसार तभी मिलेगा जब निर्धारित वेतन दरें और घोषित होने वाले मंहगाई भत्ते के योग से उन्हें प्राप्त वेतन से अधिक दर कम न हो पाये।
2. यदि किसी कर्मचारी का दैनिक पारिश्रमिक निकालना है तो मासिक दर से 30 का भाग दिया जाकर निकाला जावेगा, जिसमें साप्ताहिक विश्राम दिवस का वेतन शामिल होगा।
3. दैनिक वेतन भोगी श्रमिकों, कर्मचारियों को अतिरिक्त रूप से परिवर्तनशील मंहगाई भत्ते की पात्रता नहीं होगी।
4. जो मासिक वेतन निर्धारित किया गया है, वह कलेण्डर माह की समाप्ति पर देय होगा। मासिक वेतन पाने वाले कर्मचारियों को नियमानुसार साप्ताहिक अवकाश की पात्रता होगी।
5. दिनांक **01.04.2021 से 30.09.2021** तक देय संबंधित श्रमिकों का मासिक वेतन अर्थात पूरे 26 दिन उपरोक्तानुसार प्रतिमाह होगा। दरों के निर्धारण का उद्देश्य कोई नवीन पद कायम करना नहीं है।
6. यह दरें दिनांक **01.04.2021 से 30.09.2021** की अवधि तक संपूर्ण जिले के लिए लागू मानी जावेगी।

(कलेक्टर महोदय द्वारा अनुमोदित)

25.03.2021

डिप्टी कलेक्टर

हेतु कलेक्टर,मुंगेली (छ.ग.)

पृ.क्र./क/ /वित्त–3/दै.वे.भो./निर्धा./2020–21 मुंगेली, दिनांक /03/2021

प्रतिलिपिः–

1. श्रमायुक्त, छ.ग. रायपुर की ओर सूचनार्थ संप्रेषित।
2. आयुक्त, बिलासपुर संभाग, बिलासपुर की ओर सूचनार्थ संप्रेषित।
3. समस्त कार्यालय प्रमुख, ... जिला मुंगेली छ.ग. की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
4. जिला कोषालय अधिकारी, जिला मुंगेली की ओर सूचनार्थ ।
5. सहायक संचालक, जनसंपर्क कार्यालय, जिला मुंगेली छ.ग. की ओर प्रकाशनार्थ।
6. जिला सूचना एवं विज्ञान अधिकारी, एन.आई.सी., जिला मुंगेली छ.ग. को सूचनार्थ एवं मुंगेली जिला के वेबसाईट mungeli.gov.in में अपलोड किये जाने हेतु अग्रेषित।

25.03.2021

डिप्टी कलेक्टर

हेतु कलेक्टर,मुंगेली (छ.ग.)

Scanned with CamScanner